श्रीमान् अंचलाधिकारी

कोडरमा अंचल ।

विषय :– भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के सबधं में ।

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं बिरेन्द्र चौबे पिता ब्रह्मदेव चौबे

ग्राम गाँधी स्कूल रोड तिलैया पो० झुमरी तिलैया थाना तिलैया

जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :–

1. मौजा नवादा
2. थाना तिलैया
3. थाना न० 249
4. खाता न० 33
5. प्लॉट न० 71
6. रकवा 17 डि०
7. भूमि का किस्म रैयती
8. अधतन रसिद न० 1615724 दिनांक
9. दा० खारिज वाद संख्या 40/1997-98 दिनांक 2/2/202

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतू सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मै श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा ।

विश्वासभाजन

बीरेन्द्र चौबे

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

भूमि सत्यापन अभिलेख सं0....393..../2022

16.12.2022 आवेदक बिरेन्द्र चौबे पिता ब्रहम्देव चौबे, साकिन–गाँधी स्कूल रोड़, पोस्ट–झुमरी तिलैया, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:–

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	किस्म
नवादा	249	33	71	17 डी0	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करे।

अभिलेख दिनांक ....24..../....12..../2022 को प्रस्तुत करें।

16/12/22

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

अभिलेख उपस्थापित।

24.12.2022
30.12.2022 आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–नवादा, थाना नं0–249, खाता सं0–33, प्लॉट सं0–71, रकवा–17 डी0, भूमि बिरेन्द्र चौबे पिता ब्रहम्देव चौबे के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0–66 भाग सं0–05 पर दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में दा0 खा0 वाद सं0–40/1997–98 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं0–3792 दिनांक–01.05.1990 एवं सुधार पत्र सं0–5411 दिनांक–29.11.2022 द्वारा हासिल है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष–2011–12 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं0–46 दिनांक–03.12..2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है मौजा–नवादा, थाना नं0–249, खाता सं0–33, प्लॉट सं0–71, रकवा–17 डी0 भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

30/12/22

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2023.02.06 16:55:27 +05:30
Location: 192.168.29.246